न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/46

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हविया कवंर पुत्री मूलसिंह चम्पावत पत्नी स्वं पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी रड़ावास हाल निवासी भगोड़ा 2. वन्टु कवंर पुत्री मूल सिंह चम्पावत पत्नी स्वं गणपतसिंह सोलंकी जाति राजपूत निवासी रड़ावास हाल शिवपुर तहसील भीम अपीलाण्ट क्रमांक एक व दो जरिये मुख्तयार अपीलाण्ट क्रमांक तीन 3. प्रकाश कुवंर पुत्री स्व. मूलसिंह चम्पावत पत्नी मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रड़ावास हाल छडंगा खेड़ी सांसेरा तहसील रेलमगरा		1. गजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी रड़ावास 2. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लवाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 03/12/2024

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम रड़ावास, पटवार हल्का रड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 14.12.1991 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 बावजूद सम्मन तामिली असालतन/वकलातन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता मूलसिंह की ग्राम रड़ावास में भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 206, 210, 438, 451, 452, 456, 457, 458, 1065 है। अपीलाण्ट के पिता तथा माता का देहान्त हो चुका है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 मूलसिंह की जाईन्दा संतान एवं अपीलाण्ट के भाई है। अपीलाण्ट के पिता मूलसिंह फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी म्युटेशन केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 गजेन्दसिंह एवं उनकी माता मोहनकवर के पक्ष में भरा गया। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक मूलसिंह के विधिक वारिसानों

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की जांच न कर रेस्पोण्डेटगण को अनुचित लाभ दिलाने के नियत से विधिविरूद्ध तरीके से भरा गया। साथ ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पिता की सम्पति पर पुत्र एवं पुत्रियों का बराबर हक है। अपीलाण्ट को उक्त जैर अपील की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर तहसील कार्यालय से जैर अपील नामान्तरकरण प्राप्त कर श्रीमान के न्यायालय में जैर अपील पेश की है। इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम रड़ावास के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 14.12.1991 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट का देवाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पिता मूलसिंह की ग्राम रड़ावास में भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 206, 210, 438, 451, 452, 456, 457, 458, 1065 है। मूलसिंह फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उनकी पत्नी मोहनकवंर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स जो कि मृतक मूलसिंह की पुत्रीयां है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 313 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक मूलसिंह की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है। साथ ही यदि इस दौरान मृतक मूलसिंह के वारिसान पुत्रान् द्वारा भूमि का विक्रय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया गया है तो यह स्पष्ट होता है कि मृतक मूलसिंह की विरासत में विक्रेता पुत्रों के हक तक का विक्रय किये जाने को मान्य माना जाना चाहिए परन्तु यदि अपने हक से अधिक पुत्रान् द्वारा विक्रय किया गया है तो उससे पुत्रियां बाध्य नहीं होगी।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम रड़ावास, पटवार हल्का रड़ावास के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 14.12.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 03।12।2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली